

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/प्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

18/11/18 गुजराती
1/11/18 कि. साबीयर
ए. जसवंतपुरा

रतनाशम 8/0 बीनमाली
मुसलित नि. साबीयर
तह. जसवंतपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र

जसवंतपुरा नि. साबीयर

नंबर- 9/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुई
16/4/18	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री <u>रमेश कुमार</u> द्वारा <u>प्रतिवादी</u> बाबत <u>जसवंतपुरा नि. साबीयर</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>200</u> तलब होकर मिशल आयंदा तारीख <u>30/4/2018</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>जे.के.</u> सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>	
30/4/18	<p>जसवंतपुरा नि. साबीयर उपस्थित। जिला-जालोर के जज के पद पर है। मिशल इलतवा के लिए उनके जमाने के लिए साबीयर तारीख 6-6-18 को पेश हो।</p>	
6-6-18	<p>पत्रावली आज दफतर्लोक अखिल केम साबीयर पेश हुई पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र वास्तु अस्थाई निवेद्याता का पेश किया कि वास्तु अस्थाई आरपी मौजा साबीयर के खण्ड 1088 प्रार्थीगण के कब्जे में दखलदारी नहीं करे न किसे से करार हमने प्रकृत</p>	<p>जसवंतपुरा नि. साबीयर जिला-जालोर (राज.)</p> <p>जे.के. सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा जिला-जालोर (राज.)</p>

का अपलोकन किया कि वादग्रस्त
आराजी सामलारी अधिकाधिक कोषी
है जिसका विभाजन हेतु एक वाद
ज्यायालय हाजा में विचारधीन है
तो साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रमाण
पेशा होने पर विधिक समन विशेष
पारित किया जावेगा ऐसी स्थिति
में वादग्रस्त आराजी सामलारी
होने से प्रत्येक इंच इंच पर
नरद्वारेदारस का एक हिस्सा स्थान
रहता है अतः जहाँ अध्यायी
निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी प्रतीत
नही होता है अतः जहाँ का
प्रथम पत्र असाई निषेधाज्ञा को
अस्वीकार किया जाता है
निर्णय आज दिनांक 6/6/2018 को
कोर्ट कैंप सावीधर सुनाया गया

१५
सहायक कलेक्टर, जलजगन्नापुर
जिला-जालोर (राज.)